संख्या-29/2023/5818/41-2022-23 (जि0यो0)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 17 जनवरी, 2023**

विषयः- जनपद औरैया के बिधूना विधान सभा क्षेत्र के रघुनाथपुर एरवा कटरा बिधूना में स्थित रघुनाथपुर मंदिर के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य की प्रायोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7115/7-1-1/जि0यो0/प्रगति समीक्षा/2022-23 दिनांक 28.12.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त योजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-372/ 2022/4343/001-41-2022-23-jila yojana-2021 दिनांक 21.06.2022 द्वारा जनपद औरैया के बिधूना विधान सभा क्षेत्र के रघुनाथपुर एरवा कटरा बिधूना में स्थित रघुनाथपुर मंदिर के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य की स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-372/ 2022/4343/001-41-2022-23-jila yojana-2021 दिनांक 21.06.2022 द्वारा अवमुक्त की गयी रू0 15.00 लाख (रूपये पंद्रह लाख मात्र) की धनराशि को ब्याज सहित नियमानुसार राजकोष में जमा कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को एक सप्ताह के भीतर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, औरैया।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी,/कोषाधिकारी, औरैया।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल), लखनऊ।
8- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल), औरैया।
9- उप निदेशक, पर्यटन (जि0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, कानपुर मण्डल।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in